

प्रमाण पत्र

परियोजना विवरण :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा में कुणजखाल - बरसुण्ड
मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न प्रस्ताव में सभी प्रमाण पत्र चैक लिस्ट के अनुसार
संलग्न किये गये हैं।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. वि. वि.
पौड़ी गढ़वाल


अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. वि. वि.
पौड़ी

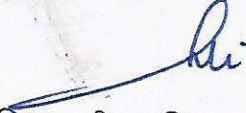

SE

कार्य का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कुणजखाल से बरसुण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

// प्रमाण-पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत कुणजखाल से बरसुण्डा मोटर मार्ग के प्रारम्भिक आगणन में प्रस्तावित सभी ग्रामों को प्रस्तावित संरेखण से संयोजकता प्राप्त हो रही है।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० वि० वि०
पौड़ी गढ़वाल


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० वि० वि०
पौड़ी (गढ़वाल)


JE

प्रारूप-2

भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा में कुणजखाल - बरसुण्ड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। - जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा में कुणजखाल - बरसुण्ड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।
- ग) परियोजना की लागत। लाख (रु0 पचात्तर लाख साठ हजार मात्र)
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। यातायात सुविधा हेतु।
- ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) पांच हेक्टेयर से कम भूमि है। लागत लाभ 'न्यून' संलग्न है।
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। 25200.00 मानव दिवस
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: आरक्षित वन भूमि शून्य सिविल भूमि 1.575 नाप भूमि 2050
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है। - शून्य-
- क) परिवारों की संख्या - शून्य-
- ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के - शून्य-
- परिवारों की संख्या
- ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) - शून्य-
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं) - नहीं-
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) - मानके शर्तें संलग्न हैं, एवं मान्य हैं।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। सूची संलग्न है।

दिनांक 5/7/2016

स्थान- पौड़ी (गढ़वाल)

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर नाम मोहर

अधिकारी अभियन्ता
 विभागाध्यक्ष लो० नि० वि०
 पौड़ी

प्रारूप-3
भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति
 - (i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र
 - (ii) जिला
 - (iii) जिला वन प्रभाग
 - (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिस्थिति: ~
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:
 - (i) वन का प्रकार
 - (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व
 - (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना
 - (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा
19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :
 - (i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :
 - (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अट्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
 - (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
 - (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
 - (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)
23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :
 - (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।
 - (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :
 - (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)
 - (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही
 - (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :
 - (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिस्थिति।
 - (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।
 - (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

प्रारूप-4

भाग-3

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।
29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।
30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा